

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक : 2015/588

दिनांक: 29/9/15

// आदेश //

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निदेशालय से प्राप्त राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम की ऑपरेशनल गाइडलाइन, 2015 के पृष्ठ संख्या 26 पर दिये गये विवरणानुसार के निर्देशों के अनुसरण में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम का गठन जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में निम्नानुसार किया जाता है -

1. जिला कलक्टर जयपुर -	अध्यक्ष
2. जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम -	सदस्य सचिव
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय -	सदस्य
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर(प.क./स्वा.) प्रथम/द्वितीय -	सदस्य
5. समस्त पुलिस उपायुक्त/अधीक्षक, जयपुर - (उ.द.पू.प. अपराध, यातायात/ग्रामीण)-	सदस्य
6. जिला शिक्षा अधिकारी- (माध्य.) जयपुर प्रथम/द्वितीय एवं प्रारम्भिक -	सदस्य
7. जिला वाणिज्य कर अधिकारी विशेष वृत्त-सप्तम जयपुर -	सदस्य
8. जिला जनसम्पर्क एवं सूचना अधिकारी, जयपुर -	सदस्य
9. एस.डी.एम. कलेक्ट्रेट परिसर, जयपुर -	सदस्य
10. आयुक्त नगर निगम मुख्यालय(स्वास्थ्य) जयपुर -	सदस्य
11. सहायक निदेशक, कालेज शिक्षा (शैक्षणिक), जयपुर -	सदस्य
12. संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम एवं नियोजन विभाग जयपुर -	सदस्य
13. उप निदेशक कृषि विस्तार, जयपुर -	सदस्य
14. मुख्य प्रबन्धक, परिवहन विभाग(RSRTC) जयपुर -	सदस्य
15. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शहर एवं ग्रामीण -	सदस्य
16. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर शहर एवं ग्रामीण -	सदस्य
17. औषधि नियन्त्रण अधिकारी, जयपुर -	सदस्य
18. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय -	सदस्य
19. साइकोलोजिस्ट - डॉ. यू.एस. चौहान, क.वि.(एनएमएचपी)	सदस्य
20. सोशियोलोजिस्ट - डॉ. रश्मि जैन, राजस्थान विश्वविद्यालय	सदस्य
21. सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशन वर्किंग ऑन हेल्थ/टोबैको कन्ट्रोल /लाइवलीहुड -	सदस्य
* (सचिव/अध्यक्ष/निदेशक/प्रतिनिधी राजस्थान कैंसर फाउण्डेशन, अस्थमा केयर सोसायटी, गायत्री शक्तिपीठ वाटिका, कट्स कार्ट, एस.आर.के.पी.एस., श्री अरविन्दों सोसायटी, आर.वी.एच.ए. इत्यादि)	

जिला स्तरीय समन्वय समिति राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के जिले में सम्पूर्ण क्रियान्वयन "सिगरेट व अन्य तम्बाकू अधिनियम(कोटपा) 2003" की धारा 4,5,6 व 7 के प्रावधानों की निगरानी, लागू एवं उनके उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही, आई.ई.सी. गतिविधि, जागरूकता इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगी। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होगा।

समिति के अधिकारीगण, सदस्यगण की विभागवार भूमिका के संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशिका की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


जिला कलक्टर,

जयपुर

दिनांक: 29/9/15

क्रमांक : 2015/588

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मिशन निदेशक(एन.एच.एम.) एवं निदेशक(आई.ई.सी) एवं संयुक्त सचिव चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं, जयपुर।
3. निदेशक(जन.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
4. स्टेट नोडल अधिकारी(तम्बाकू नियन्त्रण) एवं संयुक्त निदेशक(ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर जोन जयपुर।
6. जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियन्त्रण) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।
7. उपरोक्त समस्त सदस्यगण
8. कार्यालय प्रति।